संख्या सा-3-1998/बस-932-80

प्रेषक

श्री आर0 के0 दर,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 16 जनवरी, 1981

विषय--पेंशन प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेंशन पत्रों के साथ अथवा सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के पश्चात् अदेय प्रमाण-पत्र (नो डिमाण्ड सार्टीफिकेट) महालेखाकार को भेजा जाता है। इसके अभाव में पेंशन एवं आनुतोषिक के भुगतानादेश निर्गत करने में विलम्ब होता है। यह प्रमाण-पत्र कितनी अवधि का एकत्र किया जाय इसके बारे में अभी तक कोई आदेश नहीं है। पूरी सेवा का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में विलम्ब होता है और फलस्वरूप सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि अदेय प्रमाण-पत्र सेवा के अन्तिम 5 वर्ष की सेवा की छान-बीन के आधार पर जारी कर दिया जाना चाहिये यदि अन्यथा इस बात की जानकारी हो कि 5 वर्ष से पहले की अवधि में संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई शासकीय देय है, तो पांच वर्ष से पहले के अभिलेखों की भी जांच की जानी चाहिये और देय धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये। 5 वर्ष की सेवा की छानबीन करने के लिये सक्षम प्राधिकारी उन सभी कार्यालयों, जहां संबंधित सरकारी सेवक ने कार्य किया हो, से अदेयता के विषय में पूछताछ करेंगे तथा यदि निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित कार्यालयों से उत्तर नहीं आता है तो मान लेंगे कि सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई राशि देय नहीं है और यदि बाद में कोई देय धनराशि होते हैं तो उसके लिये संबंधित अधिकारियों को दोषी ठहराया जायेगा और उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे सरकारी सेवकों से जिनके संबंध में अदेय प्रमाण-पत्र न मिल पाये इस आशय का एक बन्ध-पत्र (संलग्नक-1) भी भरवा लिया जाय कि यदि सेवानिवृत्ति के 2 वर्ष के अन्दर उसके विरुद्ध कोई देय निकलते हैं तो उनकी वसूली उनसे कर ली जायेगी। यदि सरकारी सेवक की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाय तो उसके उत्तराधिकारियों से इसी आशय का बन्ध-पत्र (संलग्नक-2) भरवा लिया जाय। इन बन्ध-पत्रों पर देय स्टैम्प ड्यूटी शासन द्वारा वहन की जायेगी।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

2--इस प्रसंग में यह इंगित किया जाता है कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की स्वीकृति यथा-समय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वा0 आ0 सं0-सा-3-2085/बस-907/76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 में समस्त कार्यवाहियों को समय-सारिणी निर्धारित की गई है जिसके अनुसार पेंशन संबंधी कागजों पर कार्य-वाही सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्ष पहले आरम्भ किया जाना अपेक्षित है। तभी से विभागाध्यक्ष, अधि-कारियों आदि द्वारा बकाया देय रकमों का पता लगाने अथवा निर्धारित करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिये। उसी प्रकार सभी पदों के विषय में अदेय प्रमाण-पत्रों के लिये छानबीन भी दो वर्ष पूर्व आरम्भ कर दी जानी चाहिये और सेवानिवृत्त होने से पहले सारी कार्यवाही पूरी कर ली जानी चाहिये। यदि सतर्कता विभाग से किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जानी आवश्यक हो तो उसके लिये भी कम से कम सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले संदर्भ किया जाय।

3--कुछ सरकारी सेवकों के मामलों में पूर्ण सेवा का सत्यापन नहीं हो पाता है। ऐसी दशा में सिविल सर्विस रेग्यूलेशन्स के अनुच्छेद 915 (सी) के अनुसार संबंधित कर्मचारी से एक लिखित बयान तथा घोषणा-पत्र लिया होता है और उन्हें उसके समर्थन में सेवा अभिलेख तथा वह सारी सूचनायें, जो वह देने में समर्थ हो, भी देनी होती है। समय बीतने पर सरकारी सेवक के लिये ये सभी अभिलेख उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाता है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि अवस्थापित सेवा के संबंध में सरकारी सेवक से एक शपथ-पत्र (ऐफिडेविट), जिसका प्रारूप संलग्न है (संलग्नक-3), प्राप्त कर उस भाग को पेंशन के प्रयोजन के लिये अर्ह सेवा मान लिया जायेगा। उक्त अनुच्छेद 915 (सी) को इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा और औपचारिक संशोधन यथा समय बाद में किया जायेगा।

4-- उपर्युक्त आदेश 1 जनवरी, 1981 से लागू होंगे किन्तु यदि उपर्युक्त कारणों से कोई लम्बित प्रकरण उक्त तिथि को अनिर्णीत हैं तो उनका भी निस्तारण इस आदेश के प्रकाश में कर दिया जायेगा।

भवदीय,

आर0 के0 दर,
सचिव।

संख्या सा–3–1998 (1)/बस––932-80, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः––

(1) महालेखाकार (तृतीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
(2) अतिरिक्त सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
(3) निबन्धन महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
(4) वित (स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन) अनुभाग,
(5) सचिवालय के सभी अनुभाग,

को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

बसन्त लाल शाह
संयुक्त सचिव।